संख्या:-140/2021/384आ0/23-5-21-04(भवन)/2021

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 23 दिसम्बर, 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-01-051-06-0604-24 "कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार" के अन्तर्गत जनपद अयोध्या के कुल 02 कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ बजट 'ख' वर्ग के पत्र सं0-819बीजीबीजी/109बीजीबी/कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार का कार्य/2021-22, दिनांक 26-11-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्यों हेतु उसके सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि **रू0 23.50 लाख (रू0 तेईस लाख पचास हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	46/2021/122आ0/23-5-21-04(भवन)/ 2021, दिनांक 18.03.2021	अयोध्या स्थित निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, अयोध्या के कार्यालय भवन के विस्तार का कार्य।	109.99	38.99	71.00	12.25
2		अयोध्या स्थित मुख्य अभियन्ता कार्यालय भवन के प्रथम तल पर विस्तार एवं भू-तल पर साईकिल स्टैण्ड का निर्माण कार्य।	76.54	23.17	53.37	11.25
		योग :-	**188.53**	**62.16**	**124.37**	**23.50**

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-06-लोक निर्माण-0604-कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्यों हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-140/2021/384आ0(1)/23-5-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी/मा0 मंत्री जी, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र, लो0नि0वि0, अयोध्या।
9- अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या वृत्त, लो0नि0वि0, अयोध्या।
10- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, अयोध्या।
11- कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0इ0अनु0(वि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10
13- श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।